

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(26)एमई/ग्रुप-1/2019

जयपुर, दिनांक : 23/3/22


आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 01(134)एम.ई./ग्रुप-1/2005-पार्ट दिनांक 04.03.2019 के द्वारा डॉ. वीर बहादुर सिंह, वरिष्ठ आचार्य, मेडिसिन को मेडिकल कॉलेज, अजमेर का प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक नियुक्त किया गया था।

डॉ. वीर बहादुर सिंह का दिनांक 04.03.2022 को 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 16(36)एम.ई./ग्रुप-1/2020 दिनांक 20.10.2020 के प्रावधानुसार डॉ. सिंह के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के कार्यकाल में 01 वर्ष के सेवा विस्तार की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,


(इकबाल सिंह खान)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
8. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर।
10. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक।
12. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव